भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5324

उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

"एमएसएमई चैंपियंस योजना"

5324. श्री मनोज तिवारीः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
श्री आलोक शर्माः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री विद्युत बरन महतोः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री प्रवीण पटेलः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने व्यवसाय विकास और संवहनीयता पर एमएसएमई चैंपियंस योजना के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) इस योजना से अब तक भोपाल जिले सहित राज्यवार कितने एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं;

(ग) डिजिटल रूपांतरण तथा बाजार पहुंच को और अधिक सहायता देने के लिए एमएसएमई चैंपियंस के अंतर्गत किन नई पहलों की योजना बनाई जा रही है; और

(घ) क्या पिछड़े और अल्पसेवित क्षेत्रों तक योजना की पहुंच का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): एमएसएमई चैंपियंस स्कीम में तीन घटक यथा सततता के लिए एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम, प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और नवप्रवर्तन के लिए एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम शामिल हैं। जेड प्रमाणन स्कीम ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ एमएसएमई को न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लीन स्कीम दक्षता में सुधार और अपशिष्ट में कमी के माध्यम से घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। इनोवेटिव स्कीम नवाचार को बढ़ावा देने और विचारों को व्यवहार्य व्यवसायों में बदलने की सुविधा के लिए इन्क्यूबेशन, डिजाइन कार्यकलाप और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण को एकीकृत करती है। तथापि कोई तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है, अतः आंतरिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि जेडईडी प्रमाणन स्कीम गुणवत्ता, पर्यावरण, सुरक्षा, सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूकता में सुधार करने में सक्षम रही है। दूसरी ओर, लीन स्कीम ने दक्षता में सुधार, अपशिष्ट में कमी और बेहतर समस्या समाधान के बारे में एमएसएमई को सुग्राही बनाया है; और इनोवेटिव स्कीम इनक्यूबेटेड विचारों को व्यवहार्य व्यावसायिक उद्यमों में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान कर रही है। दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत घटक-वार कुल लाभार्थियों की तालिकाबद्ध सूची निम्नानुसार है:

क्र.संख्या.	स्कीम का घटक	लाभार्थियों की संख्या
1	एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम	2,84,178
2	एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम	14,240
3	एमएसएमई इनोवेटिव {(इन्क्यूबेशन, डिजाइन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)} स्कीम	इन्क्यूबेशन : 930 डिजाइन : 69 आईपीआर : 2,271

जेड, लीन और इनोवेटिव स्कीम के लिए भोपाल जिले सहित राज्य-वार लाभार्थियों की सूची को क्रमशः अनुबंध- I पर देखा जा सकता है।

(ग): एमएसएमई मंत्रालय ने जेड 2.0 लॉन्च किया है, जो जेड कार्यक्रम को निम्न माध्यमों यथा i) प्रमाणन लागत में 20% की कमी; ii) कांस्य स्तर के लिए अतिरिक्त आकलन मापदंडों और उन्नत निगरानी मूल्यांकन के साथ प्रमाणन स्तरों को सुदृढ़ करना, तथा iii) बहुल प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता आदि से सुदृढ करता है। इसके साथ ही, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के अंतर्गत आईपी के व्यावसायीकरण हेतु एमएसएमई सहायता (एमएसएमई-एससीआईपी) कार्यक्रम का उद्देश्य आईपी निर्माण और वाणिज्यीकरण के बीच के अंतर को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी अंतरण सुविधा केंद्रों (टीटीएफसी) का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना, हितधारक सहयोग और प्रौद्योगिकी अन्वेषण हेतु एक डिजिटल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करना, और भारतीय एमएसएमई के लिए एक तकनीकी ज्ञान डेटाबेस बनाना है, जिससे एमएसएमई चैंपियंस पहल के अंतर्गत डिजिटल परिवर्तन में सहायता की जा सके और बाजार पहुंच में सुधार हो सके।

(घ): एमएसएमई चैंपियंस स्कीम केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन पिछड़े और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित अखिल भारत स्तर पर किया जाता है। एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम घटक के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अतिरिक्त 5% भारत सरकार योगदान/अंशदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जेड स्कीम एससी/एसटी उद्यमियों या एनईआर, हिमालयी, वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई), द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के एमएसएमई के स्वामित्व वाले जेड प्रमाणन की लागत के लिए अतिरिक्त 10% सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे इन क्षेत्रों में दी जाने वाली वित्तीय सहायता को और सुदृढ़ किया है।

****

अनुबंध-I

जेड स्कीम के शुभारंभ अर्थात 28 अप्रैल 2022 के अंतर्गत भोपाल सहित राज्य-वार लाभार्थियों की सूची का विवरण:

		जेड	लीन	नवाचारी		
क्र. सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल प्रमाणन**	**बेसिक प्रमाणन**	**इन्क्यूबेशन**	**आईपीआर**	**डिजाइन**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	9996	465	82	156	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	2	0	0
4	असम	2749	167	6	4	2
5	बिहार	20809	1284	10	9	1
6	चंडीगढ़	704	0	7	0	0
7	छत्तीसगढ़	2723	128	8	9	0
8	दिल्ली	1356	193	9	41	0
9	गोवा	21	4	0	4	0
10	गुजरात	56932	1131	32	400	0
11	हरियाणा	14829	1352	8	138	4
12	हिमाचल प्रदेश	1858	58	1	4	0
13	जम्मू और कश्मीर	2732	274	3	4	3
14	झारखंड	1893	107	8	6	3
15	कर्नाटक	47285	980	72	126	23
16	केरल	3466	225	21	137	1
17	लद्दाख	8	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	11887	1155	11	63	2
19	महाराष्ट्र	20187	1966	46	311	7
20	मणिपुर	4	25	0	0	0
21	मेघालय	2	6	3	0	0
22	नागालैंड	33	46	0	0	0
23	ओडिशा	1095	74	25	48	1
24	पुदुचेरी	226	10	1	1	0
25	पंजाब	15717	529	9	20	2
26	राजस्थान	17044	871	28	138	1
27	सिक्किम	1	0	0	0	0
28	तमिलनाडु	10896	806	330	33	1
29	तेलंगाना	4956	225	116	467	2
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	199	17	0	0	0
31	त्रिपुरा	266	1	1	0	0
32	उतर प्रदेश	28217	1531	46	99	16
33	उत्तराखंड	825	75	8	20	0
34	पश्चिम बंगाल	5259	535	37	33	0
	सकल योग	**284178**	**14240**	**930**	**2271**	**69**
	भोपाल जिला	**843**	**168**	**0**	**7**	**0**